

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 94 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 2012

विषय:- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 75 (आर ई-2010)/2009-14, दिनांक 20.09.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं.86 (आरई-2010)/2009-2014, दिनांक 28.11.2011 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2.(i) अधिसूचना संख्या 75 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 20.09.2011 की क्रम सं० 44.01 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं. 86 (आरई-2010)/2009-2014, दिनांक 28.11.2011 के पैरा-2 में आने वाले "250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी)" को "150 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी)" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ii) अधिसूचना सं. 75 (आरई2010)/2009-2014, दिनांक 20.09.2011 की क्रम सं. 44.02 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं. 86 (आरई-2010)/2009-2014, दिनांक 28.11.2011 के पैरा-2 में आने वाले "300 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी)" को "250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी)" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

बंगलौर गुलाबी प्याजों और कृष्णापुरम प्याजों को छोड़कर प्याजों की सभी किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 150 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य होगा। यह 28.11.2011 को यथा अधिसूचित 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था। बंगलौर गुलाबी प्याजों और कृष्णापुरम प्याजों के लिए यह 28.11.2011 को यथा अधिसूचित 300 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बजाय 250 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य होगा।

ह०/-

(अनुप के० पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई मेल :- dgft@nic.in

(फा०सं० 01/91/180/922/एएम०८/पीसी-III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)